

हुकम या कार्यवाही मय इन्डिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

10^{10/23}
पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य
स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यक्त
होने से जनरल तारीख पेशी हो गई मत्त
आदेश की पालना में दिनांक. 1.8.2023
को पेश हो।

18^{18/23} पत्रावली पेश हुई। वकील उममपक्ष उपण
वास्ते ऊडेम दि० 20/1/23 को पेश हो।
उप छाण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

20^{20/23}
पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य
स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त
होने से जनरल तारीख पेशी हो गई मत्त
आदेश की पालना में दिनांक. 2.11.23.
को पेश हो।
वसन्तकर रीखर

24^{24/23} पत्रावली पेश हुई। वकील उममपक्ष उपण
एडवोकेट बांदीकुई से जाह कुरैजाट पर
उममपक्ष वकील द्वारा आदेश परक करे
पर जाह कुरैजाट स्वीकार किने जाकर वाडी
वाड रावा लकासा फौजिम डिडी किना पाल
हो विस्तृत निवनि एप्रक के लिखा जाकर
शानिल पत्रावली किना गला। फौजिम डिडी
जारी कर एडवोकेट बांदीकुई को प्रालना
हुत तहरीर जारी हो। पत्रावली किना गला
धेरुत कउ तकनील डापिल दफतर हो।

उप छाण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)
F-Mail: sdo-ban-dau-ri@nic.in

प्ल-81420-279487

करण संख्या -249/2021
निर्णय दिनांक-21.07.2023

उनवान- 1. मोहनलाल पुत्र पौंच्या जाति जांगिड ब्राहमण निवासी पीचूपाडा कलां तहसील बसवा

बनाम

1. रामदयाल पुत्र पौंच्या जाति जांगिड ब्राहमण निवासी पीचूपाडा कलां तहसील बसवा
2. गणेशी देवी पत्नि रामरू जाति गुर्जर साकिन सुमेल कलां तहसील बसवा जिला दौसा
3. राजस्थान सरकार तहसीलदार बसवा जरिये लैण्ड होल्डर ।

दावा बाबत- तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नं.-249/2021 सन्-2021

निर्णय दिनांक 21.07.2023

वादिया द्वारा वाद पत्र दावा बाबत तकास्मा विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय से प्रस्तुत किया कि आराजीयात खाता संख्या नया 175 पुराना 86 के खसरा नम्बर 223 रकबा 0.9000 हैक्टे0 चाही ए कुल कबा कुल 0.9000 हैक्टे0 लगानी 47/- रुपये 70 पैसे वाके ग्राम पीचूपाडा कलां तहसील बसवा जिला त है भूमि मुतदाविया में वादी संख्या एक मोहनलाल का 361/750 वॉ हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या न पुत्र पौंच्या का 1/2 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या दो गणेशी देवी का 7/375 वॉ हिस्सा है जो 2073-2074 के आधार पर है। उपरोक्त वर्णित भूमि मुतदाविया का पक्षकारान के मध्य विधिवत रूप तकास्मा नहीं हुआ है बल्कि वादीगण एवम् प्रतिवादीगण अपनी अपनी मन समाई से भूमि मुतदाविया कर अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काशत कर मुस्तफीद होते चले आ रहे है। संख्या एक व दो के मन में बदयान्ति आ गयी है और वे आये दिन फसल बोते समय काटते समय वो लेकर झगडा फिसाद करते रहते है और वादी के हिस्से की भूमि को स्वयं की भूमि में मिलाकर वा करने पर व वादी को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमादा रहते है जिस प्रतिवादीगण से दिनांक 10.09.2021 को प्रतिवादीगण संख्या एक व दो से भूमि मुतदाविया का सरस तब से तकास्मा करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने भूमि मुतदाविया का तकास्मा करवाने से कतई दिया और कहा कि हम तो भूमि मुतदाविया का कोई तकास्मा नहीं करवायेगे और वादी के हिस्से की विया से बेदखल करके रहेगे। भूमि मुतदाविया का विधिवत सरस-नरस तकास्मा नहीं होने पर वादी को कति होगी। अतः निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि का वादी के हिस्सेनुसार, विधिवत सरस-नरस तकास्मा तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे भूमि मुतदाविया से वादी को खल कर कब्जा न करे व वादी के हिस्से की भूमि में व्यवधान पैदा न करे।

वादी वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन विधिवत की गई। प्रतिवादी और से अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी सं. 02 बावजूद जर्ये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस तामील हाजिर कि उनका कोई विधिक प्रतिनिधि उपस्थित आया। अतः प्रतिवादी सं. 02 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही लयी गयी। उभयपक्ष वकील द्वारा वाद को प्राथमिक डिकी किये जाने का निवेदन किया। वादग्रस्त भूमि का नया 175 पुरानी 86 के आराजी खसरा नं. 223 कुल किता-01 कुल रकबा 0.90 हैक्ट. ग्राम पीचूपाडा तहसील बसवा हाल तह. बांदीकुई स्थित राजस्व जमाबन्दी संवत 2073-76 दर्ज है। जो राजस्व रिकार्ड में की सहखातेदारी भूमि दर्ज है। प्रत्येक सहखातेदार को खातेदारी भूमि का विधिवत तकास्मा करवाने का

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

प्राप्त होने से बादी बाद तकास्मा स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी किया गया। तथा तहसीलदार से किये खाता संख्या नया 175 पुरानी 86 के आराजी खसरा नं. 223 कुल किता-01 कुल रकबा 0.90 बीघावा कलां तहसील बसवा हाल तह. बादीकुई का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज खातेदारान के काश्त अनुसार, सरस नरस, मकान, बाडा, रहवास, रास्ते आदि की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका प्रस्ताव बरग सुख नवशा ट्रेस दो प्रतियों में तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया तहसीलदार बादीकुई के पत्र क्रमांक: 119 दिनांक: 16.01.2023 द्वारा कुरैजात प्रस्ताव प्राप्त होकर शामिल किये गये। तहसीलदार बादीकुई से प्राप्त कुरैजात का उभयपक्ष वकील द्वारा अवलोकन किया गया एवं तह अनुसार बाद को अंतिम डिकी किये जाने बाबत निवेदन किया तथा सहमति प्रकट की। हमने प्राप्त अवलोकन किया। प्राप्त कुरैजात तहसीलदार बादीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर ख रिकार्ड के बनाया जाना प्रकट होने से प्राप्त कुरैजात स्वीकार किये जाना उचित प्रतीत होता है। अतः बादा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्राप्त कुरैजात अनुसार निम्न अनुसार अंतिम जाता है-

वर्तमान कुरैजात प्रस्ताव के अनुसार खातेदारी						
खसरा नं.	रकबा	क्रम सं.	नाम काश्तकार व वलदियत	खसरा नंबर	रकबा	
175-86	223	0.90	1. गणेशी देवी पत्नि रामरूप हिस्सा पूर्ण जाति गुर्जर सा. सुमेलकलां खातेदार	223/1	0.0168.	
			योग	किता-01	0.0168.	हैक्ट.
			2. मोहनलाल पुत्र पांच्या हिस्सा पूर्ण जाति जांगिड ब्राह्मण सा. देह खातेदार	223/2	0.4332	
			योग	किता-01	0.4332	हैक्ट.
			3. रामदयाल पुत्र पांच्या हिस्सा पूर्ण जाति जांगिड ब्राह्मण सा. देह खातेदार	223/3	0.4500	हैक्ट.

निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। अंतिम डिकी जारी हो। तहसीलदार बादीकुई तदनानुसार राजस्व रिकार्ड अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। साथ ही प्रतिवादीगण को जयें स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है बादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत न करें। पालना हेतु तहसीलदार बादीकुई को सूचित करी हो। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.07.2023 को किया एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी।
(नीरज कुमार मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बादीकुई

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत-न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बाँदीकुई

मुकाम-बाँदीकुई

जज इजलास-श्री नीरज कुमार मीना आर.ए.एस. उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बाँदीकुई

उभयान- 1. मोहनलाल पुत्र पौंच्या जाति जांगिड ब्राहमण निवासी पीचूपाडा कलां तहसील बसवा

बनाम

1. रामदयाल पुत्र पौंच्या जाति जांगिड ब्राहमण निवासी पीचूपाडा कलां तहसील बसवा
2. गणेशी देवी पत्नि रामरूप जाति गुर्जर साकिन सुमेल कलां तहसील बसवा जिला दौसा
3. राजस्थान सरकार तहसीलदार बसवा जरिये लैण्ड होल्डर ।

दावा बाबत-तकास्मा

मुकदमा नं.-249/2021 सन्-2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु वादी वकील-श्री गोपाल बन्धु शर्मा व हाजिरी प्रतिवादीगण वकील श्री सुरेन्द्र शर्मा मिनजानिव मुद्दई रुबरुमिनजानिय मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि प्रकरण में विधिवत प्राप्त कुरैजात पर उभयपक्ष वकील द्वारा सहमति प्रकट की गई एवं वाद को अंतिम डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया गया। अतः प्रकरण में विधिवत प्राप्त कुरैजात अनुसार वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं। अतः तहसीलदार बाँदीकुई द्वारा प्राप्त कुरैजात अनुसार दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा न करें। कुरैजात निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा।

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..... का अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21 मांह 07 सन् 2023 को जारी की गई।

मुहर



दस्तखत.....

ओहदा.....

उप खण्ड अधिकारी
बाँदीकुई (दौसा)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		— Nil —	रुआम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		— Nil —

उप खण्ड अधिकारी
बाँदीकुई (दौसा)

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत-न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बाँदीकुई मुकाम-बाँदीकुई
जज इजलास-श्री नीरज कुमार मीना आर.ए.एस. उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बाँदीकुई

उनयान-1. मोहनलाल पुत्र पौंच्या जाति जौंगिड ब्राह्मण निवासी पीचूपाडा कलों तह. बसवा

बनाम

1. रामदयाल पुत्र पौंच्या जाति जौंगिड ब्राह्मण निवासी पीचूपाडा कलों तह. बसवा जिला दौसा
2. गणेशी देवी पत्नी रामरूप जाति गुर्जर साकिन सुमेल कलों तह. बसवा जिला दौसा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा तहसील बसवा जिला दौसा

दावा बाबत तकास्मा

मुकदमा नं.-249/2021 सन्-2021

इह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी वकील-श्री गोपाल बंधु शर्मा व हाजिरी प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा मुद्दई रूबरू..... मिनजानिय मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी स्मा विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है। तथा तहसीलदार बाँदीकुई तह किया जाता है कि ग्राम पीचूपाडा कलों तहसील बाँदीकुई स्थित भूमि खाता संख्या नया 175 पुराना 86 नं. 223 रकबा 0.90 हैक्ट. कुल किता 01 कुल रकबा 0.90 है0 का मौका विभाजन पक्षकारान के मध्य स्थिति में सरस-नरस, मकान, बाडा, कब्जा काश्त, रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, विधिवत पालन करते हुए विभाजन कर, मौका विभाजन प्रस्ताव बरंग सुर्ख नक्शा ट्रेस के तैयार कर भिजवाये।

मुबलिंग.....

बाबत.....

मुकदमे के मय सूद मसरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख
क..... का अदा करें।

दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16 माह 09 सन् 2022 को जारी की गई।



दस्तखत.....

ओहदा.....

उपखण्ड अधिकारी
बाँदीकुई

रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
अर्जी दावा वकालत वजह सबूत वकील खर्चा		स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
गेशनर इजराय हुक्मनामा		मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
बाँदीकुई

